



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.01.2023

नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी अनिल कुमार को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम भवीसा थाना कांधला जनपद शामली द्वारा वर्ष-2016 में नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड व मारपीट की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 280/2016 धारा 354/354बी/323/506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.01.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनिल को दोषी पाते हुए धारा 354बी भादवि में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 08 पोक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- अनिल कुमार पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम भवीसा थाना कांधला जनपद शामली ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 11.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 25/23 धारा 353/332/427 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.01.2023 को थाना बडौत पर वादी लेखपाल श्री संजय कुमार सिंह ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-अरविन्द व 2-जितेन्द्र पुत्रगण महीपाल सिंह निवासीगण ग्राम बिजरौल थाना बडौत द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा कारसरकार में बाधा डाली गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 25/23 धारा 332/353/427 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 25/23 धारा 332/353/427 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अरविन्द पुत्र महीपाल सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जिला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 रजत कुमार थाना बडौत बागपत ।
- 2- है0का0 322 राजकुमार थाना बडौत ।
- 3- होमगार्ड 279 श्रीपाल थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 11.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 26/23 धारा 307/504/506/323 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक रस्सी बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.01.2023 को थाना बडौत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्त 1-मुबारिक 2-कल्लू उर्फ साहिब पुत्रगण मुन्ना निवासीगण ग्राम सवाखेडी थाना बडौत द्वारा वादिया व वादिया के पुत्र के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा अभियुक्त मुबारिक द्वारा जान से मारने की नियत से वादिया का रस्सी से गला दबाया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 26/23 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 26/23 धारा 307/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक रस्सी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मुबारिक पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम सवाखेडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक रस्सी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अखिलेश यादव थाना बडौत बागपत
- 2- हे0का0 335 अनिल मिश्रा थाना बडौत
- 3-हे0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 11.01.2023

थाना दोघट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-अभियुक्त नरेश पुत्र स्व:सोहन निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-विजय पुत्र अंगपाल उर्फ आनन्दपाल निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 शिववीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 146 विनोद कुमार ।
- 3-का0 894 अमित कुमार ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 11-01-2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलने वाले 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 3200 रुपये बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 3200 रुपये बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राशिद पुत्र हारून निवासी मौ0 बाल्मिकी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-राहुल यादव पुत्र पोपसिंह निवासी पट्टी अहिरान भूमिया मंदिर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-चाँद पुत्र जैनू निवासी शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-आरिफ पुत्र पप्पू निवासी मौ0 करबला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-गुलफाम पुत्र महबूब निवासी करबला मौ0 कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते व 3200 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप0नि0 रईस उल्ला खां ।
2. है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह ।
3. का0 373 बब्लू ।
4. का0 881 कृष्ण कुमार ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 11.01.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 06/23 धारा 147/452/352/323/324/
504/506/354 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 06/23 धारा 147/452/352/323/324/504/506/354 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कविन्द्र पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जिला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना रमाला ।
- 2- है0का0 542 अशोक कुमार थाना रमाला ।
- 3-का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला ।